

क्र. 1821/14/अ. 1821/14/अ. राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं. 1821/14/अ. 1821/14/अ. जिला अजमेर

उनवान

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---------------------------------	---

8-1-15

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

श्री सुनील शर्मा, सदस्य


प्रार्थी की ओर से श्री ईश्वर देवडा एवं विजय कुमार गुप्ता उपस्थित। प्रार्थीयों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्र. प. 2(6)वित्त/कर/2014 -143 दिनांक 16.12.2014 का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने हेतु निवेदन किया गया। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई ने इस संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।

फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 1821/2014/अ. 1821/2014/अ. 1821/2014/अ. "सारहीन" हो जाने के कारण खारीज की जाती है।

आदेश सुनाया गया।


सदस्य

राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर


अध्यक्ष

राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर